



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11042023-245110
CG-DL-E-11042023-245110

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 11, 2023/चैत्र 21, 1945

No. 14]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 11, 2023/CHAITRA 21, 1945

रक्षा मंत्रालय

(छावनी बोर्ड, महु)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2023

का.नि.आ. 14(अ).—छावनी बोर्ड, महु, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 66 की उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की भारत के राजपत्र, भाग 3, खंड 4 में फाइल सं. 53/1/सी/एल एवं सी/78, तारीख 19 दिसंबर, 1979 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना को, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, विखंडित करता है।

[सं. सीबीमहु/7551राजस्व/वीईटी/127]

डॉ. राजेंद्र सी. जगतप, मुख्य कार्यपालक अधिकारी

MINISTRY OF DEFENCE**(Cantonment Board, Mhow)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th April, 2023

S.R.O. 14(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 66 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), the Cantonment Board, Mhow, with the previous sanction of the Central Government, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Defence bearing file number 53/1/C/L&C/78, dated the 19th December, 1979 published in the Gazette of India, Part III, section 4, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[No. CBMHOW/7551/Revenue/VET/127]

Dr. RAJENDRA C. JAGTAP, Chief Executive Officer